न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—494 / 2016 / 223 (2016 / 00494)

1. विष्णुसिंह पुत्र विजयसिंह उर्फ बज्जा, जाति रावत, नि0 ग्राम सिंघाडिया तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र फूलचंद, जाति रावत,
2. बीरमसिंह पुत्र जग्गासिंह, जाति रावत,
   निवासीगण ग्राम सिंघाड़िया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 29.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 169 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री कुलवंतसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री संदीप शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 27.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा सिंगाड़िया, तह0 ब्यावर स्थित खतौनी संख्या नयी 174 पुरानी 164 खसरा संख्या 398 रकबा 0.08, 401 / 2 रकबा 0.18, 716 रकबा 1.03, 717 रकबा 0.16, एवं 4 रकबा 3.05, खतौनी संख्या नयी 175 पुरानी 110 खसरा नंबर 401 / 1 रकबा 0.01, खतौनी संख्या नयी 126 पुरानी 28 खसरा नंबर 382 रकबा 0.05 है0, 383 / 2 रकबा 0.17, 384 रकबा 0.18, 391 रकबा 0.18, 392 रकबा 0. 11, 393 रकबा 0.10—10 एवं खसरा संख्या 7 रकबा 4—0—0 भूमिया स्थित है । उपरोक्त वर्णित खाता नंबर 126 नया 28 पुराना ममे वादी व अन्य सहखातेदारान के बीच मौखिक तौर पर बंटवारा होकर वादी के हक हिस्से में खसरा नंबर 384 आता है जिस पर वादी का पीढ़ियों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । तथा खसरा नंबर 401 की आराजी के पड़ौस मे वादी / अपीलांटस के पूर्वजों की छतरी भी बनी हुई है । प्रत्यर्थीगण का अपीलांटस की उपरोक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व

सरोकार नहीं है न ही सहखातेदार काश्तकार है । प्रत्यर्थीगण अपीलांट की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर खसरा नंबर 384 व 401 से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है । अतः वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु विधि अनुसार न तो वाद में तनकियात कायम की ओर न ही वाद में पक्षकारों की शहादत ली । बिना पक्षकारों की शहादत के कैम्प कोर्ट मे उक्त वाद को खारिज किये जाने का जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट ने वाद के साथ खसरा नंबर 401 की जमाबंदी प्रस्तुत की थी जिसका वादी/अपीलांट अकेला खातेदार काश्तकार है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस जमाबंदी पर गौर नहीं कर भारी भूल की है । जमाबंदी के अनुसार खसरा नंबर 401 का वादी/अपीलांट एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा अपीलांट ही काबिज काश्त है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने खसरा नंबर 384 की जमाबंदी भी पेश की थी जिससे स्पष्ट है कि वादी ने वादपत्र में भी स्पष्ट अभिवचन किये है कि उक्त खसरा नंबर की भूमि अन्य सहखातेदारान के मध्य मौखिक पारिवारिक समझौते के तहत प्राप्त हुई है तथा उक्त खसरे बाबत् वादी द्वारा वाद में जमाबंदी के अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है फिर भी अधी0न्याया0 ने उक्त विधिक तथ्य पर किसी प्रकार का गौर नही कर वाद मात्र सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । प्रतिवादीगण के अभिवचनों एवं प्रत्युत्तर से उक्त खसरा नंबरान का वादी खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 को निरस्त किया जावे ।

5.

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को बेचान इकरारनामा दिनांक 6.10.2000 को रूबरू गवाहान के बेचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया है । तब से रेस्पो0 ही विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पो0 द्वारा वादी को उक्त इकरारनामा के आधार पर पंजीयन कराने हेतु कई बार कहा गया किन्तु वादी टालमटोल कर रहे है तथा विवादित आराजियात को अन्यंत्र बैचान करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से

स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश पारित किये । दिनांक 24.12.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री पूरणसिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा । इसके उपरांत दिनांक 20.5.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवाद पत्र पेश किया । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 द्वारा अस्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते कायम तनकियात हेतु नियत की । इसके उपरांत पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात 13.6.2016 तक चलती रही किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा वाद में तनकियात कायम किये बिना प्रकरण को कैम्प कोर्ट नरबद खेड़ा में रखकर वाद को दिनांक 29.6.20106 को खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने पक्षकारो की शहादत लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पाारित निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर